

कार्यालय जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, देवाड़ी।

सेवास

सर्व प्रथम शिक्षा अधिकारी
(देवाड़ी जिला)

भारी क्रमांक 2/22 प्रशा-11-88/393 दिनांक 17/5/88

क्रमांक 2/22 प्रशा-11-88/393 दिनांक 17/5/88

विषय :-

शून्य श्रेणी के अर्जित/आवकाश देने का।

उपरोक्त विषय पर मुख्य अधिकारी, हरियाणा

सरकार के पत्र क्रमांक 2/22 प्रशा-11-88/393 दिनांक 17/5/88

के संदर्भ में लिखा जाता है कि शून्य श्रेणी सेवा में
की गई सेवा को आधिकारिक आवकाश की कोश दिया जा सकता है।
जैसे तक श्रेणी सेवा का अर्जित आवकाश की कोश दिखने का
सम्बन्ध है इस को अतिरिक्त स्थिति उत्पन्न होगी :-

1. ऐसे कर्मचारी जो पहले सिविल सेवा में नहीं थे और मिली
सेवा के पश्चात् सिविल सेवा में प्रवेश करते हैं इनके लिए
मिली सेवा को अर्जित आवकाश के लिए नहीं दिया जा सकता।
2. शून्य कर्मचारी जो मिली सेवा में जाता है और उसके पश्चात्
पुनः सिविल सेवा में आता है उसकी मिली सेवा को अर्जित
आवकाश के लिए दिया जा सकता है।
3. अर्थात् कर्मचारी जो सिविल सेवा छोड़कर मिली सेवा में जाता
है और तत्पश्चात् सिविल सेवा में आता है तो उसे मिली में की
गई सेवा का अर्जित आवकाश के लिए कोई लाभ नहीं मिल सकता।

जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी,
देवाड़ी।
हरियाणा

Strongly Recommended
27.4.06

विषय :- भूतपूर्व सैनिकों के अर्जित/आर्कीस्मक अवकाश देने बारे ।

पंचायत विधत्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग
उपरोक्त विषय पर उनके पत्र क्रमांक 2/22 प्रभा-11-00/393 दिनांक 17-5-88
की ओर ध्यान देने की कृपा करें ।

उन्हे मन्त्रणा दी जाती है कि भूतपूर्व सैनिकों द्वारा सेना में की गई
सेवा को आर्कीस्मक अवकाश की ओर भिना जा सकता है । जहां तक सैनिक सेवा
का अर्जित अवकाश की ओर भिना जा सकता है उस बारे निम्नीतिखा स्थिति
उत्पन्न होगी :-

- 1* ऐसे कर्मचारी जो पहले सिविल सेवा में नही थे और मिलट्री सेवा के पश्चात
सिविल सेवा में प्रवेश करते है उनके लिए मिलट्री सेवा को अर्जित अवकाश के लिए
नही भिना जा सकता ।
- 2* स्थाई कर्मचारी जो मिलट्री सेवा में जाता है और उसके पश्चात पुनः सिविल
सेवा में आ जाता है उसकी मिलट्री सेवा को अर्जित अवकाश के लिए गिना
जा सकता है ।
- 3* अस्थाई कर्मचारी जो सिविल सेवा छोडकर मिलट्री सेवा में जाता है और
पश्चात सिविल सेवा में आ जाता है उसे मिलट्री में की गई सेवा का
अर्जित अवकाश के लिए कोई लाभ नही मिल सकता ।
- 4* विधत्ता विभाग में उपरोक्त विभाग में कर्मचारी प्रकृत है कि भूतपूर्व सैनिक
कर्मचारियों को उनकी मिलट्री सेवा के अनुसार आर्कीस्मक अवकाश/अर्जित अवकाश
देने की कृपा करें ।

सचिव

अधीनक सामान्य सेवारे-11

पते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

विधत्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग ।

पत्र क्रमांक 12/10/07-2जा0200-11, दिनांक पन्नीगढ़ 10 जून 1900